भारत सरकार
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1816
उत्तर देने की तारीख 31 जुलाई, 2023
सोमवार, 9 श्रावण, 1945 (शक)

अल्पावधि प्रशिक्षण कोर्स

1816 श्री रमेश चन्द्र माझी:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि अल्पावधि प्रशिक्षण (एसटी) पाठ्यक्रमों के मामले में नियोजन दर में गिरवट आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा शत-प्रतिशत नियोजन दर सुनिश्चित करने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाए जाने की योजना बनाई जा रही है?

उत्तर
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री
(श्री धर्मेंद्र प्रधान)

(क) और (ख) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) ने युवाओं को कौशल प्रशिक्षण और प्रमाण-पत्र प्रदान करने और उन्हें देश भर में बेहतर आजीविका के लिए नियोजनीय बनाने के लिए वर्ष 2015 में प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) शुरू की। पीएमकेवीवाई के दो प्रशिक्षण घटक अर्थात अल्पावधि प्रशिक्षण (एसटीटी) और पूर्व शिक्षण मान्यता (आरपीएल) हैं। एसटीटी प्रमाणित उम्मीदवारों को नियोजन के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं, जबकि आरपीएल नियोजन से सम्बद्ध नहीं है क्योंकि यह उम्मीदवारों के मौजूदा कौशल को मान्यता प्रदान करता है। पीएमकेवीवाई के अंतर्गत दिनांक 31.03.2023 तक, 137.24 लाख व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया है, जिसमें एसटीटी घटक के तहत 71.38 लाख व्यक्ति शामिल हैं। एसटीटी घटक के तहत कुल प्रशिक्षितों में से 56.78 लाख व्यक्तियों को प्रमाणित किया गया और प्रमाणित व्यक्तियों में 24.38 लाख व्यक्तियों को नियोजित किया गया है। अन्य स्कीमों के संबंध में, तृतीय पक्ष मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार, प्रशिक्षित उम्मीदवारों की आय में वृद्धि या नियोजन के मामले में सफलता मिली है। जहां तक जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) स्कीम के लाभार्थियों के रोजगार का प्रश्न है, इस स्कीम की तृतीय पक्ष मूल्यांकन रिपोर्ट में पाया गया कि जेएसएस में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम के फलस्वरूप स्व-रोजगार और वैतनिक रोजगार मिले हैं। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि स्कीम की उपयोगिता इस तथ्य से और

अधिक स्पष्ट होगी कि 77.05% लाभार्थी प्रशिक्षुओं ने अपने व्यवसाय बदलाव किए हैं। आईटीआई स्नातक की ट्रेसर स्टडी की अंतिम रिपोर्ट (कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनवरी, 2018 में प्रकाशित) में उल्लेख किया गया है कि कुल आईटीआई उत्तीर्ण में से 63.5% को रोजगार (वेतन + स्व, जिनमें से 6.7% स्व-रोज़गार हैं) प्राप्त हुआ है।

(ग) पीएमकेवीवाई-एसटीटी के अंतर्गत प्रमाणित उम्मीदवारों के नियोजन के अवसरों को बढ़ाने के लिए, नियोजन को प्रशिक्षण प्रदाताओं के भुगतान के साथ जोड़ा गया है। अंतिम किस्त, अर्थात कुल भुगतान का 30 प्रतिशत उम्मीदवारों की नियुक्ति सुनिश्चित करने के उपरांत प्रशिक्षण प्रदाताओं को वितरित किया जाता है। जिला एवं क्षेत्रीय स्तर पर रोजगार मेले एवं शिक्षुता मेले भी आयोजित किए जा रहे हैं। इसके अलावा, रोजगार के अवसरों को प्रभावी बनाने के लिए, स्किल इंडिया डिजिटल (एसआईडी) पोर्टल को वन-स्टॉप प्लेटफॉर्म के रूप में शुरू किया गया है जो कौशल, शिक्षा, रोजगार और उद्यमशीलता इकोसिस्टम को शिक्षार्थियों, क्षेत्र कौशल परिषदों, ज्ञान प्रदाताओं, सामग्री भागीदारों, प्रशिक्षण भागीदारों, कौशल केंद्रों, प्रशिक्षकों, आकलनर्ताओं, आकलन एजेंसियों, अवार्डिंग निकायों और वित्तीय संस्थाओं सहित लाभार्थियों की एक विस्तृत श्रृंखला को लक्षित करने वाली आजीवन सेवाओं की श्रृंखला प्रदान करने के लिए एकीकृत करता है।

****